

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या-330/2019

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मो० जाहिद

2. अरविंद कुमार अग्रवाल

..... विपक्षी पार्टियां

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ०) एस०एन० पाठक

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री जी०सी० झा, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टियों के लिए : XXXX

04/19.02.2021 यह सिविल विविध याचिका एम०ए० सं० 577/2016 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दाखिल किया गया है, जिसे इस न्यायालय के द्वारा पारित दिनांक 14.03.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता द्वारा विविध आवेदन की पुनःस्थापन के लिए सिविल विविध याचिका के पैरा-4 में पर्याप्त कारण दिखाया गया है।

श्री जी०सी० झा, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील श्री जी०सी० झा ने कहा कि कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण, त्रुटियों को पूर्व निर्धारित समय के भीतर नहीं हटाया गया था और इस तरह, न्याय हित में, इस सी०एम०पी० की अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगा।

पार्टियों के उचित निवेदन के मद्देनजर, सी०एम०पी० सं० 330/2019 की अनुमति है।

एम०ए० सं० 577/2016 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाए।

[(डॉ० एस०एन० पाठक, न्याया०)]